

TO ALL DEOS

4

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 17(2)शिक्षा-2/2003

जयपुर, दिनांक: 09/05/2016

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान,  
बीकानेर।

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा - राजस्थान,  
बीकानेर।

विषय : प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) के पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश एवं पदस्थापन प्रक्रिया हेतु कार्यक्रम बाबत।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) के पदस्थापन के सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र के अनुसरण में पदस्थापन प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्य सम्पादन की तिथि	सम्पादित किये जाने वाले कार्य का विवरण	अधिकारी, जिसको कार्यवाही करनी है।
1	दिनांक: 16.05.16 तक	(i). शाला दर्पण के 3ए एवं 3बी प्रपत्र की सूची अनुसार कार्यरत विद्यालय में ही समायोजित होने वाले अध्यापकों का लेवलवार एवं विषयवार निर्धारण करना। (ii). शाला दर्पण के 3ए एवं 3बी प्रपत्र की सूची अनुसार कार्यरत विद्यालय में समायोजित नहीं होने वाले अध्यापकों जो माध्यमिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों में समायोजित किये जा सकते हैं, का लेवलवार एवं विषयवार निर्धारण करना। (iii). बिन्दु संख्या (i) एवं (ii) से शेष माध्यमिक शिक्षा में समायोजन योग्य नहीं होने वाले अध्यापकों (जो प्रारम्भिक शिक्षा को लौटाए जाने हैं) का निर्धारण करना। (iv). बिन्दु संख्या (i) के अनुसार कार्यरत विद्यालय में ही समायोजित होने वाले अध्यापकों के समायोजन पश्चात् लेवलवार एवं विषयवार रिक्त रहने वाले पदों का विद्यालयवार निर्धारण करना। (v). इस समायोजन की प्रक्रिया से पूर्व के स्पष्ट रिक्त पदों की लेवलवार एवं विषयवार सूची तैयार करना।	जि.शि.अ. माध्यमिक प्रथम एवं द्वितीय अपने अपने परिक्षेत्र की सूचना प्राप्त कर तैयार करेंगे।
2	दिनांक: 16.05.16 तक	प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत माध्यमिक शिक्षा में समायोजन योग्य समस्त तृ.श्रे.अध्यापकों (6 डी के अन्तर्गत नियमित/ राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के तहत नियुक्त) की जिले में कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरीयता सूचियों का लेवलवार एवं विषयवार निर्माण करना।	जि.शि.अ. प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा
3	दिनांक: 17.05.16 तक	जि.शि.अ. माध्यमिक द्वितीय अपने परिक्षेत्र की समस्त वांछित सूचनाएँ जि.शि.अ. माध्यमिक प्रथम को सुपूर्द करेंगे। जि.शि.अ. माध्यमिक प्रथम द्वारा एकजमाई लेवलवार एवं विषयवार पदस्थापित किये जाने वाले अध्यापकों एवं रिक्त पदों की संख्यात्मक सूचना तैयार करना।	जि.शि.अ. माध्यमिक प्रथम जि.शि.अ. माध्यमिक द्वितीय के सहयोग से

4	दिनांक: 18.05.16 तक	उक्त संख्यात्मक सूचना के आधार पर माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित किये जाने वाले लेवलवार एवं विषयवार अध्यापकों की संख्या रिक्त पदों से कम होने की स्थिति में वांछित संख्यानुसार लेवलवार एवं विषयवार अध्यापक प्रारम्भिक शिक्षा से सैटअप परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त करना।	जि.शि.अ. प्रारम्भिक द्वारा जि.शि.अ. माध्यमिक प्रथम की भांग के अनुसार
5	दिनांक: 19.05.16 तक	पदस्थापित किए जाने वाले अध्यापकों की लेवलवार एवं विषयवार पदस्थापन की प्राथमिकता क्रम के अनुसार वरीयता सूची एवं रिक्त पदों, काउन्सिलिंग कैंप कार्यक्रम (पूर्व पत्र दिनांक 08.05.2016 के बिन्दु संख्या 6 के क्रमानुसार) का प्रकाशन का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।	जि.शि.अ. माध्यमिक-प्रथम द्वारा (जि.शि.अ. माध्यमिक द्वितीय एवं जि.शि.अ. प्रारम्भिक मय स्टाफ वांछित सहयोग प्रदान करेंगे)
6	दिनांक: 21.05.16 से 27.05.16	जि.शि.अ. माध्यमिक/माध्यमिक-प्रथम द्वारा पूर्व पत्र दिनांक 08.05.2016 के बिन्दु संख्या 6 के क्रमानुसार लेवलवार एवं विषयवार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार तिथियों को काउन्सिलिंग कैंप का आयोजन करना एवं पदस्थापन आदेश जारी करना।	जि.शि.अ. माध्यमिक-प्रथम द्वारा प्रारम्भिक को
7	दिनांक: 28.05.16 तक	माध्यमिक शिक्षा में समायोजन योग्य नहीं होने वाले अध्यापकों /अन्य कर्मिकों को प्रारम्भिक शिक्षा के सुपुर्द करना।	जि.शि.अ. माध्यमिक-प्रथम द्वारा प्रारम्भिक को

प्रासंगिक पत्र के अनुसरण में निम्नलिखित दिशा-निर्देश भी जारी किये जाते हैं :

1. अध्यापकों के लेवल एवं विषय का निर्धारण निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र दिनांक: 24.02.2016 (परिशिष्ट-1) के बिन्दु संख्या 2 एवं 3 के आधार पर किया जाये।
2. माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक तृतीय वेतन श्रृंखला के स्वीकृत पदों के लेवल एवं विषय का निर्धारण शाला दर्पण के आधार पर किया जाये।
3. पूर्व पत्र दिनांक 08.05.2016 के बिन्दु संख्या 8(i) असाध्य रोग से तात्पर्य कैंसर, व ब्रेन ट्यूमर रोग से है।

कृपया उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार कार्य सम्पादन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का पत्र दिनांक 24.02.2016

भवदीय,  
[Signature]  
(कमलेश आहुसरिया)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि उपरोक्त तिथियों के अनुसार कार्य सम्पादन सुनिश्चित किया जावे तथा सम्बन्धित को अपेक्षित सहयोग प्रदान कर कार्य सम्पादन में सक्रिय योगदान भी सुनिश्चित करें :-

1. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक उक्तानुसार कार्यवाही की प्रभावी मॉनिटरिंग करने हुए कार्य निर्धारित तिथि तक सम्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
2. समस्त उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग.....
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा जिला.....

[Signature]  
शासन उप सचिव  
09.5.16